

# फर्द अहकाम

(विषय 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)


भैवरलाल पिता मोतीलाल नाई नि. भीलडी वगैराह

बनाम

रतन पिता सुगनलाल नाई नि. भीलडी वगैराह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1275/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जे हुकम की तारीख में जारी हुवे
30.11.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम गुलाबपुरा प. ह. टीटोडी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 601/1, 602/2 कुल किता 02 रकबा 09.13 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी क पड़ोसी अप्रार्थीगण है। सीमा बिन्ही को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है। आये दिन खेत के अपनी कृषि आराजियात की स्थाई सीमा बिन्ही की जानकारी नही होने के कारण आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाये। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्मत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम गुलाबपुरा प. ह. टीटोडी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 601/1, 602/2 कुल किता 02 रकबा 09.13 बीघा की बसामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 30.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी,  
 जहाजपुर(भीलवाडा)